तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज दिदार खां बनाम लो.सू.अ. (उप तहसीलदार झंवर) सू.अ.अ. अपील संख्या 88/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिदार खां पुत्र चान्द खां पता मु0पो0 झंवर तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.05.18 में उसके द्वारा (1) ख.नं. 1803 तथा 2119/1803 किस्म गै.मु. गौचर मौजा झंवर में गै.मु. नदी(बाला) से लेकर हरिजन बस्ती तक किन किन व्यक्तियों द्वारा कब्जा तथा अतिक्रमण किये गए है? सूचना विवरण तथ्यों सहित व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उप तहसीलदार झंवर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उप तहसीलदार झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. (उप तहसीलदार झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उप तहसीलदार झंवर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner